न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस. द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या	02/2026
जीसीएमएस नं.	55/2026
प्रविष्टि दिनांक	12.03.2026

सरकार जरिए तहसीलदार नगरफोर्ट जिला टोंक

—प्रार्थी

बनाम

1. कंवर जसवंतसिंह पुत्र सच्चिदानन्द सिंह जाति राजपूत निवासी कचरावता तह. नगरफोर्ट, जिला टोंक।
2. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा पलाई, जिला टोंक राजस्थान

—अप्रार्थीगण

रेफरेंस प्रार्थना पत्र विरूद्ध आदेश तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट शुद्धिपत्र संख्या 01 दिनांक 10.01.2024 वाके ग्राम कचरावता प.म. कचरावता तहसील नगरफोर्ट।

उपस्थित—

1. पेरोकार सरकार श्री मजहर आलम एड.।
2. श्री पारस कुमार जैन, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय दिनांक 17/4/26

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि ग्राम कचरावता के सेग्रीगेशन जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 में खसरा नम्बर 460 रकबा 1.24 हेक्ट०, किस्म बारानी—2 खसरा नम्बर 467 रकबा 0.10 हैक्ट० किस्म बारानी—2 (रामकिशन पुत्र मोतीलाल हिस्सा—पूर्ण, जाति पुजारी सा०डिग्गी गैर खातेदार) एवं खसरा नम्बर 432 रकबा 1.80 हैक्ट०,बारानी—2 (रामप्रसाद वगैरह पुश्कर गुरू हिस्सा—पूर्ण गैर खातेदार) दर्ज रिकॉर्ड था। ग्राम कचरावता के शुद्धिपत्र कमांक 01 दिनांक 08.01.2024 को दर्ज हुआ जिससे उक्त भूमि कंवर जसवन्त सिंह पुत्र सच्चिदानन्द सिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा.देह खातेदार के नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के तत्कालीन आरपीजी पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा दर्ज की गई।

उक्त शुद्धिपत्र दिनांक 08.01.2024 को नियमों के विरूद्ध बताते हुए पुनः पूर्व यथास्थिति में करने हेतु यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस अप्रार्थी की गई। पेरोकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव कथन किया कि ग्राम कचरावता के सेग्रीगेशन जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 में खसरा नम्बर 460 रकबा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

1.24 हेक्ट०, किरम बारानी–2 खसरा नम्बर 467 रकबा 0.10 हैक्ट० किस्म बारानी–2 (रामकिशन पुत्र मोतीलाल हिस्सा–पूर्ण, जाति पुजारी सा०डिग्गी गैर खातेदार) एवं खसरा नम्बर 432 रकबा 1.80 हैक्ट०, बारानी–2 (रामप्रसाद वगैरह पुश्कर गुरू हिस्सा–पूर्ण गैर खातेदार) दर्ज रिकॉर्ड था। ग्राम कचरावता की वर्तमान जमाबन्दीं सम्वत् 2079 (वर्ष 2022) में खाता नम्बर 161 खसरा नम्बर 460, रकबा 1.24 हैक्ट०, किस्म बारानी 2 एवं खसरा नम्बर 467, रकबा 0.10 हैक्ट०, किस्म बारानी–2 (कंवर जसवन्त सिंह पुत्र सच्चिदानन्द सिंह हिस्सा–पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पलाई, टोंक, राज.) एवं खाता नम्बर 162 खसरा नम्बर 432, रकबा 1.80 हैक्ट०, बारानी–2 (कंवर जसवन्त सिंह पुत्र सच्चिदानन्द सिंह हिस्सा–पूर्ण जाति राजपूत सा देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पलाई, टोंक, राज) दर्ज रिकॉर्ड है।

ग्राम कचरावता के शुद्धिपत्र कमांक 01 दिनांक 08.01.2024 को दर्ज हुआ जिसमें खाता नम्बर 161 खसरा नम्बर 460, रकबा 1.24 हैक्ट०, किस्म बारानी 2 एवं खसरा नम्बर 467, रकबा 0.10 हैक्ट०. किस्म बारानी–2 (रामकिशन पुत्र मोतीलाल हिस्सा पूर्ण, जाति पुजारी सा०डिग्गी गैर खातेदार) एवं खाता नम्बर 162 खसरा नम्बर 432. रकबा 1.80 हैक्ट०, बारानी–2 (रामप्रसाद वगैरह पुष्कर गुरु हिस्सा–पूर्ण गैर खातेदार) से कंवर जसवन्त सिंह पुत्र सच्चिदानन्द सिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा.देह खातेदार के नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के तत्कालीन आरपीजी पटवारी श्री शुभम सुहाल द्वारा शुद्धिपत्र दिनांक 08.01.2024 दर्ज किया गया। जिसमें तत्कालीन पटवारी श्री रवि बेडा द्वारा 08.01.2024 एवं तत्कालीन तहसीलदार श्री रामसिंह मीना द्वारा 10.01.2024 को शुद्धिपत्र ई–साइन (स्वीकृत) किया गया। शुद्धिपत्र संख्या 01 बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश एवं न ही कोई वैध दस्तावेज के दर्ज किया जिसके उपरान्त पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया जो पूर्णतया नियमानुसार गलत है।

अतः ग्राम कचरावता के खसरा नम्बर 460 रकबा 1.24 हैक्ट०, किस्म बारानी–2, खसरा नम्बर 467 रकबा 0.10 हैक्ट० किस्म बारानी–2 (रामकिशन पुत्र मोतीलाल हिस्सा पूर्ण, जाति पुजारी सा०डिग्गी गैर खातेदार) एवं खसरा नम्बर 432 रकबा 1.80 हैक्ट०, बारानी–2 (रामप्रसाद वगैरह पुश्कर गुरू हिस्सा पूर्ण गैर खातेदार) के नाम पुनः पूर्व यथास्थिति में करने बाबत निवेदन किया।

अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त शुद्धि पत्र सं0 1 दिनांक 10.01.2024 विधि सम्मत एवं नियमों के अनुकूल है। उक्त शुद्धि पत्र सक्षम अधिकारी के आदेश एवं वैध दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया है। इस हेतु पटवारी की रिपोर्ट भी ली गई है। दस्तावेज एवं शुद्धि–पत्र की गहनता से जांच के उपरान्त ही बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पलाई द्वारा अप्रार्थी को कृषि ऋण दिया गया था। अप्रार्थी द्वारा उक्त बैंक से लिये गये ऋण को पूरी तरह चुकता कर दिया गया। वर्तमान में बैंक का कोई ऋण शेष नहीं है। ऐसी स्थिति में रेफरेन्स खारिज फरमाया जावें।

हमने राजकीय पेरोकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

कि ग्राम कचरावता के सेग्रीगेशन जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में खसरा नम्बर 460 रकबा 1.24 हेक्ट०, किस्म बारानी–2 खसरा नम्बर 467 रकबा 0.10 हैक्ट० किस्म बारानी–2 (रामकिशन पुत्र मोतीलाल हिस्सा–पूर्ण, जाति पुजारी सा०डिग्गी गैर खातेदार) एवं खसरा नम्बर 432 रकबा 1.80 हैक्ट०, बारानी–2 (रामप्रसाद वगैरह पुश्कर गुरू हिस्सा–पूर्ण गैर खातेदार) दर्ज रिकॉर्ड था। ग्राम कचरावता के शुद्धिपत्र कमांक 01 दिनांक 08.01.2024 को दर्ज हुआ जिसमें खाता नम्बर 161 खसरा नम्बर 460, रकबा 1.24 हैक्ट०, किस्म बारानी 2 एवं खसरा नम्बर 467, रकबा 0.10 हैक्ट०. किस्म बारानी–2 (रामकिशन पुत्र मोतीलाल हिस्सा पूर्ण, जाति पुजारी सा०डिग्गी गैर खातेदार) एवं खाता नम्बर 162 खसरा नम्बर 432. रकबा 1.80 हैक्ट०, बारानी–2 (रामप्रसाद वगैरह पुष्कर गुरु हिस्सा–पूर्ण गैर खातेदार) से कंवर जसवन्त सिंह पुत्र सच्चिदानन्द सिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा.देह खातेदार के नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के तत्कालीन आरपीजी पटवारी श्री शुभम सुहाल द्वारा शुद्धिपत्र दिनांक 08.01.2024 दर्ज किया गया एवं तत्कालीन तहसीलदार श्री रामसिंह मीणा द्वारा 10.01.2024 को शुद्धिपत्र ई–साईन किया गया। उक्त शुद्धिपत्र दिनांक 08.01.2024 बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश एवं बिना वैध दस्तावेजात के दर्ज किया गया है। ऐसे अवैधानिक आदेश के आधार पर दिये गये खातेदारी अधिकार को निरस्त कर वैधानिक खातेदार को खातेदारी अधिकार लौटाया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर शुद्धिपत्र सं01 विधिसम्मत एवं नियमों के अनुकूल नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में रेफरेन्स स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

फलतः तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 460 रकबा 1.24 हेक्ट०, किस्म बारानी–2 खसरा नम्बर 467 रकबा 0.10 हैक्ट० किस्म बारानी–2 को रामकिशन पुत्र मोतीलाल जाति पुजारी सा०डिग्गी के नाम एवं खसरा नम्बर 432 रकबा 1. 80 हैक्ट०, बारानी–2 को रामप्रसाद वगैरह के नाम पुनः पूर्वयथास्थिति में पूर्व खातेदारान के नाम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17/4/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अति.जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक